मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023

सशक्त महिला, सशक्त परिवार, सशक्त समाज, सशक्त प्रदेश, सशक्त देश

02-03-2023

महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश

योजना के उद्देश्य

सशक्त महिला, सशक्त परिवार, सशक्त समाज, सशक्त प्रदेश, सशक्त देश

महिलाओं के स्वावलम्बन एवं उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार को बनाये रखना

महिलाओं को आर्थिक रूप अधिक स्वावलम्बी बनाना

परिवार स्तर पर निर्णय लिये जाने में महिलाओं की प्रभावी भूमिका को प्रोत्साहित करना

योजना अंतर्गत पात्रता

मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो।

विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी।

आवेदन के कैलेण्डर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।

योजना अंतर्गत अपात्रता

योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाऐं अपात्र होंगी :-

1. जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो

2. जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो।

3. जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम/ मण्डल/ स्थानीय निकाय में नियमित/स्थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो।

4. जो स्वयं भारत सरकार/ राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि रूपये 1000/- या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है।

5. जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/ विधायक हो।

6. जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित/ मनोनित, बोर्ड/ निगम/ मण्डल/ उपक्रम के अध्यक्ष/ संचालक/ सदस्य हो।

7. जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोडकर) हो।

8. जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल पॉच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो।

9. जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर सहित) हो।

आवेदन पत्र एवं पावती

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना – 2023

आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का पत्रक

1. आवेदिका की समग्र आई.डी. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐
2. आधार नंबर ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
3. आवेदिका का नाम ....
4. आवेदिका के पति / पिता का नाम ....
5. जन्मतिथि - दिनांक ☐☐ माह ☐☐ वर्ष ☐☐☐☐
6. आवेदिका का पता ....
   ग्राम / शहर (वार्ड) ....जिला ....पिनकोड ☐☐☐☐☐☐
.7. आवेदिका का मोबाईल नं. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
8. वर्ग (✔ लगाये) - सामान्य ☐ अ.जा. ☐ अ.ज.जा. ☐ अ.पि.व. ☐
9. क्या शासन से विधवा / नि:शक्त इत्यादि पेंशन प्राप्त कर रहे है - (✔ लगाये) हॉं ☐ नही ☐
10. विवाह की स्थिति (✔ लगाये) - विवाहित ☐ तलाकशुदा ☐ विधवा ☐ परित्यक्ता ☐

आवेदिका द्वारा की गई घोषणा

- मैं घोषणा करती हूँ कि (✔ लगाये) -

☐ मेरे परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है।
☐ मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य करदाता नहीं है।
☐ मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य केन्द्र / राज्य सरकार के शासकीय विभाग / मंडल / उपक्रम / स्थानीय निकाय में नियमित / संविदा कर्मी के रूप में नियोजित नही है अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात् पेंशन प्राप्त नही कर रहे है।
☐ मेरे स्वंय या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से चार पहिया वाहन अथवा ट्रेक्टर नही है।
☐ मेरे परिवार के पास सम्मिलित रूप से 5 एकड़ से अधिक भूमि नही है।
☐ मुझे भारत सरकार / राज्य सरकार की किसी योजना में प्रतिमाह 1000 रूपये या अधिक राशि प्राप्त नही हो रही है।
☐ मैं स्वयं या मेरे परिवार में कोई सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत जनप्रतिनिधि (पंचायत के वार्ड पंच या उपसरपंच को छोडकर) नहीं है।
☐ मैं स्वयं या मेरे परिवार में कोई सदस्य भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा चयनित / मनोनित, बोर्ड / निगम / मंडल / उपक्रम के अध्यक्ष / संचालक / सदस्य नही है।

- मैं एतद् द्वारा ये घोषणा करती हूं कि मुझे मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023 पोर्टल एप पर आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ खुद को प्रमाणित करने और आधार आधारित प्रमाणीकरण के बाद अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक या वन-टाइम पिन (ओटीपी) डेटा प्रदान करने की सहमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। मै यह भी सहमति देती हूँ कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023 मेरी पहचान स्थापित करने और प्रमाणित करने के लिए मेरे आधार नंबर का उपयोग कर सकता है। मैं एतद् द्वारा केवल सरकारी सेवाओं और / या सरकारी योजना के लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्य राज्य या केंद्र सरकार के विभागों के साथ अपने आधार ई-केवाईसी विवरण साझा करने की सहमति देती हूं।

(आवेदिका के हस्ताक्षर)

नोट-
1. उक्त प्रपत्र मात्र ऑनलाईन प्रविष्टि हेतु जानकारी एकत्रित करने के लिए है।
2. आवेदन ऑनलाईन सफलता पूर्वक दर्ज होने के पश्चात् निम्न पावती दी जायेगी तथा आपको SMS / व्हाट्स एप के द्वारा भी भेजी जायेगी।

आवेदन की ऑनलाईन प्रविष्टि के पश्चात् पावती फाड़ कर दी जाए-

(कार्यालयीन उपयोग हेतु)

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना – 2023

आवेदन पत्र - पावती

☐ (क) मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023 अंतर्गत आपका आवेदन ऑनलाइन सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है।

1. आपका ऑनलाईन पंजीयन क्रं. .... एवं आवेदन दिनांक ..../..../.... है।
2. आवेदिका का नाम .... 3. पति / पिता का नाम .... है।
4. आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर निम्नानुसार स्थितियाँ पाई गई -
   - आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक है - हाँ ☐ नही ☐ (नही होने पर बैंक शाखा में जाकर आधार बैंक से लिंक कराये)
   - आपका बैंक अकाउंट DBT Enable है - हाँ ☐ नही ☐ (नही होने पर बैंक शाखा में जाकर डी.बी.टी. इनेवल कराये)

उक्त कार्यवाही पूर्ण किये जाने एवं पात्रता होने पर ही आपके स्वयं के आधार लिंक DBT Enable खाते में राशि प्राप्त होगी।
नोट :- यह मात्र आवेदन की पावती है। आवेदन परीक्षण उपरांत पात्र आवेदिका होने की दशा में ही योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जा सकेगा।

☐ (ख) निम्न कारणों से आवेदन ग्राह्य नही किया गया हैं -

☐ अविवाहित होने से
☐ आयु 23 से 60 वर्ष के मध्य न होने से
☐ समग्र में आधार e-KYC न होने से (e-KYC पूर्ण करायें एवं पुन: आवेदन करें।)

(जारीकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील)

(योजना से संबंधित जानकारी हेल्पलाइन नंबर 0755-2700800 एवं वेबसाइट www.cmladlibahna.mp.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।)

पात्र महिलाओ के फॉर्म (आवेदन पत्र) भरवाना

आवेदन पत्र –

- पात्र महिलाओं द्वारा राज्य स्तर से अनुमोदित एवं प्रेषित आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र भरा जाएगा

आवेदन पत्र की प्राप्ति -

- छापे फॉर्म सभी ग्राम पंचायत/ वार्ड कार्यालयों में आवश्यक संख्या में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा

आवेदन करने हेतु स्थल एवं सहयोगी –

- फॉर्म भरवाने में महिलाओं की मदद हेतु ग्राम स्तर पर उपलब्ध कर्मी एवं volunteers द्वारा सहयोग किया जाएगा
- फॉर्म कैंप आयोजन के पूर्व अथवा कैंप के दिन फॉर्म भरवाया जा सकेगा
- फार्म भरवाने हेतु आवेदक महिला से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा।

फार्म की पोर्टल/ app में प्रविष्टि हेतु कैंप का आयोजन

कैंप आयोजन का स्वरूप

- फॉर्म की प्रविष्टि App/Portal में भरने के लिए प्रत्येक ग्राम/ शहरी वार्ड में कैंप आयोजन
- बड़े ग्रामो / वार्डो में पात्र महिलाओ की संख्या को देखते हुए एक से अधिक स्थल पर भी कैंप आयोजित किए जाए
- कैंप क्षेत्र की सभी पात्र महिलाओ के फॉर्म 30 अप्रैल तक पोर्टल/ app में प्रविष्ट सुनिश्चित की जाए
- प्रत्येक स्थल पर कैम्प अवधि पर्याप्त हो ताकि बिना भीड़-भाड़ के कार्य संपादित हो
- कैंप की अवधि का निर्धारण ग्राम/वार्ड में पात्र हितग्राहियों की संख्या के आधार पर हो ताकि शत प्रतिशत पात्र आवेदनों प्राप्त ◌ो सके

कैंप के आयोजन की सूक्ष्म कार्ययोजना

- कैंप के आयोजन की तिथि, समय, स्थान की स्पष्ट जानकारी
- कैम्प में उपस्थित होने वाले अधिकारी का नाम,
- कैंप प्रभारी एवं अन्य सहयोगी कर्मचारियों के नाम, पदनाम, विभाग का नाम आदि विवरण
- कैंप की सूचना कैंप स्थल पर एवं नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र पर कार्यकर्ता को सूचित करते हुए चस्पा की जाए।

कैम्प आयोजन दिवस में तकनीकी एवं अन्य व्यवस्थाएं

कैम्प में इन्टरनेट कनेक्टिविटी एवं आवश्यक तकनीकी संसाधनों की व्यवस्था

- बायोमेट्रिक डिवाइस
- लैपटॉप/डेस्कटॉप/ LBY app युक्त मोबाइल डिवाइस / टैब्लेट
- यूपीएस (Data Back-up Support),
- वेब कैमरा

कैम्प में ''आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी'' के प्रपत्रों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता

कैम्प में ड्यूटी हेतु विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा सकती है।

कैम्प हेतु अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं

- कैम्प में यथा स्थान सूचना पट्टिकाएं,
- आवेदकों के बैठने हेतु पर्याप्त व्यवस्था,
- गर्मी के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकतानुसार टेंट, पेयजल, मेडिसिन किट आदि की पर्याप्त व्यवस्था
- कैम्प दिवसों में ग्राम में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

फार्म की पोर्टल/ app में प्रविष्टि

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना

फार्म की पोर्टल/ app में प्रविष्टि

- पात्र महिलाओं द्वारा भरे फार्म की प्रविष्टि लाड़ली बहना योजना पोर्टल/ app में विशेष कैंप में की जाएगी
- कैम्प प्रभारी द्वारा SAMAGRA के login credentials का उपयोग कर फॉर्म की प्रविष्टि की जाएगी
- कलेक्टर की अनुमति से एक कैम्प में एक से अधिक Login Credentials बनाया जा सकता है

कैंप में महिला को स्वयं उपस्थित होकर अपना फार्म कैंप प्रभारी के माध्यम से प्रविष्टि करानी होगी

कैम्प प्रभारी द्वारा महिला की लाइव फोटो आवेदन प्रविष्टि के दौरान कैप्चर की जाएगी

आवेदन के दौरान SAMAGRA में e-KYC न होने की स्थिति में –

- SAMAGRA में e-kyc न होने पर यथासंभव बायोमेट्रिक डिवाइस से ही e-kyc कराया जाये।
- विशेष परिस्थिति में ही ओटीपी के माध्यम से e-kyc किया जाये ।
- समग्र में e-KYC Status update होने में 24 घण्टे या उससे अधिक समय संभावित होता है
- महिला को समझाईश दी जाए कि वह अगले दिन कैम्प में पुन: उपस्थित हो
- कैम्प समाप्त होने की दशा में ग्राम पंचायत /वार्ड कार्यालय में अपना आवेदन करवाएं।

फार्म की पोर्टल/ app में प्रविष्टि

आवेदन के ऑनलाइन प्रविष्टि उपरांत पावती प्रदाय

- फॉर्म की जानकारी के app/ पोर्टल में दर्ज हो जाने के पश्चात ही फॉर्म की पावती प्रदाय की जाए
- फॉर्म के पावती में ऑनलाइन प्रविष्टि फॉर्म के आवेदन क्रमांक तथा अन्य आवश्यक जानकारी की प्रविष्टि आवेदन जमकर्ता द्वारा की जाए
- यदि कैंप स्थल पर पावती न दी जा सके तो आगामी दिवसों में आवेदक को पावती हेतु समय व स्थान से अवगत कराया जाए
- ऑनलाइन पावती portal के माध्यम से भी हितग्राही को Whatsapp/SMS से भेजी जाएगी

निम्न कारणो से उपस्थित महिला का आवेदन पोर्टल/ऐप में प्रविष्टि हेतु ग्राह नहीं किया जाएगा एवं मूलतः वापस किया जाएगा

- पात्रता आयु में ना होने
- अविवाहित होने
- समग्र में ई केवायसी ना होने पर

अपात्रता की जांच - अनंतिम सूची प्रदर्शित होने के पश्चात आपत्ति प्राप्त होने अथवा रैन्डम जांच द्वारा ही की जाएगी

कैंप प्रभारियों और सहयोगियों का प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना

- राज्य स्तर से प्रत्येक जिले के लिए 10 मास्टर ट्रेनर को ऑनलाइन प्रशिक्षण
- ऑनलाइन प्रशिक्षण NIC webroom के माध्यम से पृथक से उपलब्ध कराये गए तिथियों में
- प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनरों के माध्यम से कैंप के आयोजन पूर्व कैंप प्रभारी सहित कैंप से सम्बद्ध समस्त कर्मचारियों को कैंप आयोजन से पूर्व, विस्तृत प्रशिक्षण
- प्रशिक्षण में ''आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का फॉर्म'' भरने,आवेदक द्वारा प्रस्तुत फॉर्म की app /पोर्टल में प्रविष्टि करने ,पावती देने इत्यादि गतिविधियों विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा
- प्रशिक्षण हेतु USER MANUAL राज्य स्तर से उपलब्ध कराया जाएगा
- प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण से पर्याप्त समय पूर्व योजना के 'USER MANUAL' का भली भांति अध्ययन किया जाये।

प्रचार-प्रसार

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना

आवेदन की प्रक्रिया आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेजों का प्रचार प्रसार

- आवेदकों को कैम्प स्थल पर आवेदन की प्रविष्टि कराने हेतु
- आवश्यक दस्तावेज़, योजना की पात्रता, अपात्रता, कैंप तिथि हेतु
- उपरोक्त जानकारी दर्शित करते हुए फ्लेक्स उचित स्थान पर लगाया जायें
- अन्य माध्यमों से भी पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाए

यह सुनिश्चित किया जाये कि कोई भी पात्र हितग्राही योजना में लाभान्वित होने से वंचित न रहे।

योजना लाभ हेतु हितग्राहियों की पूर्व तैयारी में सहयोग

कैम्प के पूर्व हितग्राहियों को योजना के लाभ लेने हेतु निम्नानुसार तैयार किया जाए-

- SAMAGRA ID में e-KYC एवं वैवाहिक स्थिति को update कराना सुनिश्चित किया जाये।
- MPONLINE /CSC किओस्क पर e-KYC निशुल्क कराया जा सकता है, अथवा कैम्प में भी यह कार्य किया जा सकता है
- SAMAGRA एवं AADHAAR में हितग्राही की जानकारी में मेल होना चाहिए,
- मिलान नहीं होने पर जानकारी के शीघ्र संशोधन के लिए ग्राम सचिव/वार्ड प्रभारी सहयोग करेंगे।

समस्त पात्र महिलाओं के स्वयं का आधार से लिंक्ड एवं DBT इनेबल्ड बैंक खाता होना आवश्यक है

- बैंक खाते को आधार से लिंक, सत्यापित एवं DBT इनेबल्ड महिला के द्वारा बैंक जाकर ही कराया जा सकता है, इस हेतु महिलाओं को प्रेरित करना सुनिश्चित करें।
- जिनके स्वयं के बैंक खाते नहीं हैं, अथवा DBT इनेबल्ड नहीं हैं, उनके बैंक खाते आधार लिंक्ड DBT इनेबल्ड करवाने हेतु आवेदन भरने में सहयोग हेतु मैदानी अमले को निर्देशित किया जाए।
- यह आवेदन फॉर्म बैंक से प्राप्त कर पूर्व से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ग्राम सचिव/वार्ड प्रभारी को उपलब्ध करा दिये जाएँ।
- जिले में DLCC की बैठक आयोजित कर सुनिश्चित करें कि सभी बैंक उक्त कार्य हेतु संवेदनशील हों ।

App /पोर्टल में प्रविष्टि हेतु हितग्राहियों को तैयार करना

निर्धारित आयु सीमा की पात्र महिला को स्वयं कैम्प/ ग्राम पंचायत/ वार्ड कार्यालय पर फॉर्म प्राविष्टि हेतु उपस्थित होना आवश्यक होगा,

फॉर्म प्राविष्टि के दौरान पात्र महिला का लाइव फोटो जमकर्ता द्वारा ली जावेगी

इस आवेदक महिला को निम्नानुसार जानकारी लेकर आना आवश्यक होगा:-

1. स्वयं का आधार कार्ड
2. परिवार/स्वयं की समग्र आई डी
3. आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर

कैम्प के पश्चात् की कार्यवाहियाँ

अनंतिम सूचियों का प्रकाशन –

- फॉर्मों की App/Portal पर प्रविष्टि हेतु आमंत्रित कैम्पों की अंतिम तिथि के पश्चात् आवेदकों की अनंतिम सूची, पोर्टल/ ऐप पर प्रदर्शित की जायेगी,
- प्रदर्शित अनंतिम सूची का प्रिंट आउट संबन्धित ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय के सूचना पटल पर भी चस्पा किया जायेगा।

आपत्तियों को प्राप्त किया जाना –

- प्रदर्शित अनंतिम सूची पर 15 दिवस तक आपत्तियॉ पोर्टल/ऐप के माध्यम से प्राप्त की जायेगी।
- पंचायत सचिव/ वार्ड प्रभारी को लिखित अथवा सीएम हेल्पलाईन 181 के माध्यम से भी आपत्ति दी जा सकेगी।
- प्राप्त आपत्तियों को पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी द्वारा सम्बंधित महिला आवेदक की प्रविष्टी के विरूद्ध पोर्टल/ ऐप पर दर्ज किया जायेगा।
- आपत्तियॉ लिखित (ऑफलाइन) प्राप्त हुयी हैं उनके सम्बंध में अग्रिम कार्यवाही पंजी में संधारित की जाकर 3 दिन के अंदर ऑनलाइन अपलोड की जायेगी।

आपत्ति निराकरण समिति – स्वरूप

ग्राम पंचायत स्तर

- ग्रामीण क्षेत्र की आपत्तियों के निराकरण हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, क्षेत्र का नायब तहसीलदार एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी की समिति होगी ।

नगर परिषद एवं नगर पालिका स्तर

- नगर परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्र की आपत्तियों के निराकरण हेतु तहसीलदार सीएमओं एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी की समिति होगी।

नगर निगम स्तर

- नगर निगम क्षेत्र की आपत्तियों के निराकरण हेतु आयुक्त नगर निगम, परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास की समिति होगी ।

आपत्तियों की जॉच एवं अंतिम सूची जारी किया जाना

आवेदन पर आपत्ति की जॉच एवं निराकरण 15 दिवस में समिति द्वारा किया जायेगा। समिति केवल उन्हीं प्रकरणों पर विचार करेंगी जिसमें आपत्ति प्राप्त हुई हैं।

अतिरिक्तप्राप्त आवेदनों का रैण्डम चयन राज्य स्तर पर किया जाकर उनकी पात्रता सम्बंधी विशेष जांच पृथक से की जावेगी। इस प्रकार चयनित आवेदनों की सूची आवेदनों की प्रविष्टि पूर्ण होने पर भेजी जावेगी।

समस्त आपत्तियों के समय सीमा में परीक्षण उपरांत पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची निर्धारित निराकरण समिति से स्वीकृत प्राप्त कर पोर्टल/ ऐप पर ही प्रदर्शित की जायेगी

जारी सूची अनुसार संबन्धित ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय में प्रिंट आउट निकाल कर चस्पा किया जायेगा।

अपात्र हितग्राहियों की सूची भी पृथक से पोर्टल/ऐप पर प्रदर्शित की जायेगी।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना अंतर्गत स्वीकृति पत्र प्रदाय

अंतिम सूची में पात्र हितग्राही को ग्राम सचिव/ वार्ड प्रभारी द्वारा योजना में लाभांवित होने का "स्वीकृति पत्र" जारी किया जायेगा जिसका प्रारूपपोर्टल पर उपलब्ध रहेगा

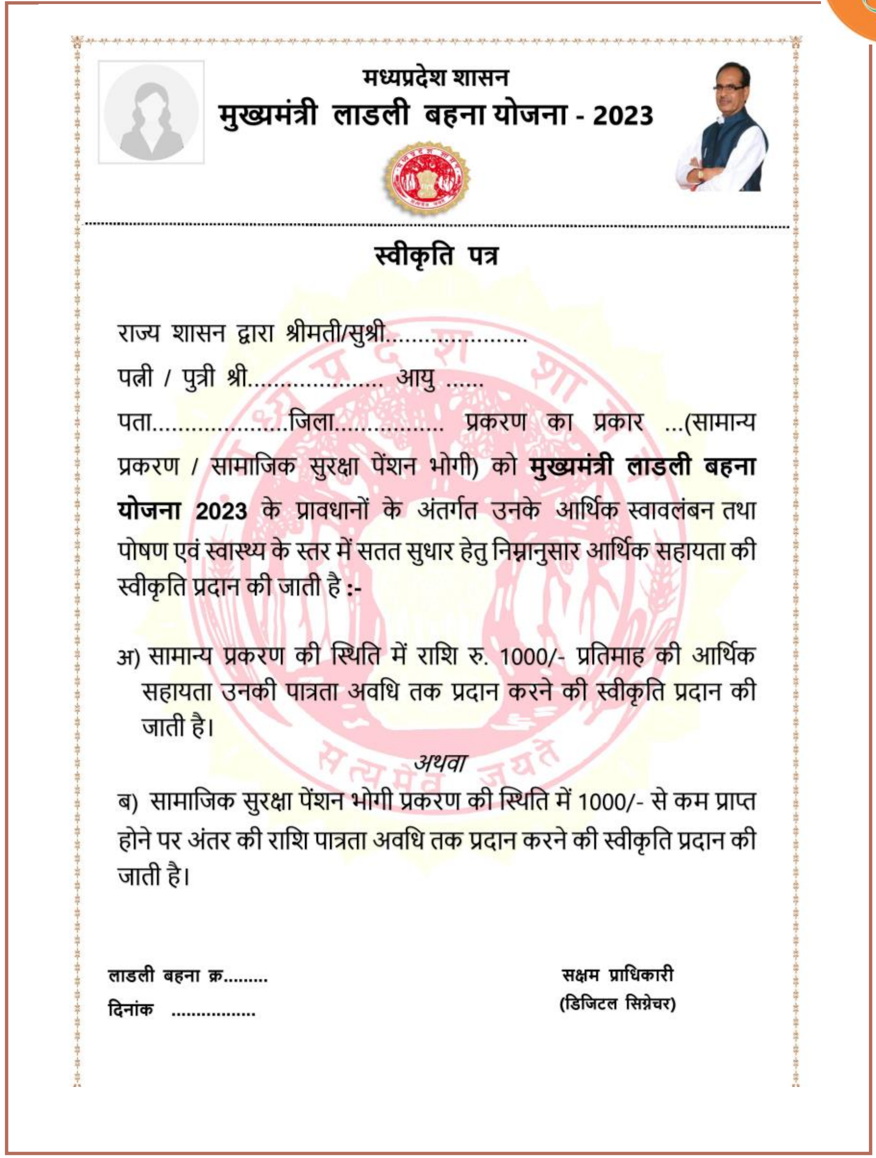

मध्यप्रदेश शासन

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना - 2023

स्वीकृति पत्र

राज्य शासन द्वारा श्रीमती/सुश्री....................

पत्नी / पुत्री श्री.................... आयु ......

पता....................जिला................ प्रकरण का प्रकार ...(सामान्य प्रकरण / सामाजिक सुरक्षा पेंशन भोगी) को **मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना** 2023 के प्रावधानों के अंतर्गत उनके आर्थिक स्वावलंबन तथा पोषण एवं स्वास्थ्य के स्तर में सतत सुधार हेतु निम्नानुसार आर्थिक सहायता की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

अ) सामान्य प्रकरण की स्थिति में राशि रु. 1000/- प्रतिमाह की आर्थिक सहायता उनकी पात्रता अवधि तक प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अथवा

ब) सामाजिक सुरक्षा पेंशन भोगी प्रकरण की स्थिति में 1000/- से कम प्राप्त होने पर अंतर की राशि पात्रता अवधि तक प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

लाडली बहना क्र.........

दिनांक ....

सक्षम प्राधिकारी

(डिजिटल सिग्नेचर)

हितग्राही को राशि का भुगतान

पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान उनके आधार लिंक्ड डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में किया जायेगा।

आवेदक महिला के पास स्वयं के नाम से आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाता होना चाहिये।

आवेदन की App/Portal में प्रविष्टि के समय खाता नहीं होने की दशा में महिला हितग्राही को इस सम्बंध में पावती में सूचित किया जायेगा

पावती अनुसार अपेक्षा होगी कि वह स्वयं का बैंक खाता (आधार लिंक डीबीटीइनेबल्ड) खुलवा लें।

जिलों द्वारा नियमित अभियान चलाकर निर्धारित समयसीमा में उक्त कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

योजना के क्रियान्वयन की समय-सीमा

क्र	गतिविधियां	समयसीमा
1.	योजना का शुभारंभ	5 मार्च 2023
2.	आवेदन प्राप्ति का प्रारंभ	15 मार्च 2023
3.	आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	30 अप्रैल 2023
4.	अनंतिम सूची जारी दिनांक	1 मई 2023
5.	अनंतिम सूची पर आपत्तियाँ प्राप्त करने की अवधि	1 मई से 15 मई 2023 तक
6.	आपत्ति निराकरण हेतु अवधि	16 मई से 30 मई 2023 तक
7.	अंतिम सूची जारी करने का दिनांक	31 मई 2023
8.	राशि अंतरण का दिनांक	10 जून 2023 तक
9	आगामी माहों में भुगतान हेतु नियत तिथि	प्रत्येक माह की 10 तारीख को

योजना की निगरानी एवं समीक्षा

नियमित परीक्षण एवं सत्यापन –

- भविष्य में किसी पात्र हितग्राही के सम्बंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसकी जॉच आपत्ति निराकरण समिति द्वारा की जायेगी।
- जॉच में अपात्र होने की दशा में सम्बंधित हितग्राही का नाम सूची से विलोपनयोग्य होने की सूचना उसे दी जाकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जायेगा।
- आपत्ति सही पाये जाने पर ग्राम पंचायत सचिव/ वार्ड प्रभारी द्वारा सम्बंधित हितग्राही का नाम विलोपित किया जा सकेगा।

जिला स्तर पर समीक्षा एवं निगरानी–

- जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, आयुक्त नगर निगम, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि, जिला ई-गवर्नेंस मैनेजर सदस्य होंगे तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास सदस्य सचिव रहेंगे, योजना के सघन क्रियान्वयन हेतु सतत समीक्षा करेगी।

योजना शुभारंभ हेतु राज्य स्तरीय कार्यक्रम की रूपरेखा

- **स्थल** – जम्बूरी मैदान भोपाल
- **दिनांक** – 5 मार्च 2023
- **अनुमानित हितग्राही संख्या** - 1 लाख
- **हितग्राहियों को कार्यक्रम स्थल पर लाने का दायित्व** – **जिला प्रशासन** (नगरीय प्रशासन विभाग / पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग / महिला एवं बाल विकास विभाग)
- **मंच, कार्यक्रम स्थल, डोम, बैठक व्यवस्था एवं सजावट तथा योजना का ब्रोशर -** मध्यप्रदेश माध्यम
- **मुख्यमंत्री लाडली बहना पोर्टल एवं ऐप का शुभारंभ-** एमपीएसईसीडीसी
- **सांस्कृतिक कार्यक्रम (अतिथि आगमन के पूर्व एवं पश्चात)** – संस्कृति विभाग
- **भोजन व्यवस्था** - जिला प्रशासन
- **आवागमन व्यवस्था** - परिवहन विभाग

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना

धन्यवाद